संख्या-7/20**1**8-जी**0**आई0-11/58-2018-100(1)/2017

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह**,**

कृषि उत्पादन आयुक्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी**,** उ0प्र**0**।

2. निदेशक**,**

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0,

लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ::दिनांक: 01 मार्च, 2018**

विषय: **बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत वर्ष** 2017-18 **में उत्पादित आलू के क्रय के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा वर्ष 2017-18 में उत्पादित आलू के क्रय हेतु प्रदेश में बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या-एल.15016/6/2018-एम.पी.एस.,दिनांक 01.03.2018 द्वारा लागू किये जाने और उक्त योजना के अधीन 02 लाख मै0टन एफ.ए.क्यू. आलू रू0 5490/- प्रति मिट्रिक टन तथा ओवर हेड चार्जेज रू0 1373/-प्रति मिट्रिक टन निर्धारित किया गया है। ओवर हेड व्यय में परिवहन चार्जेज, लोडिंग, अनलोडिंग चार्जेज, गनी बैग, पैकिंग मैटेरियल, ग्रेडिंग, सिलाई चार्जेज, मण्डी टैक्स, पर्चेज टैक्स तथा गोडाउन चार्जेज आदि सम्मिलित हैं।

इस योजना का स्वरूप निम्नवत् होगा-

(1) योजनान्तर्गत 02 लाख मिट्रिक टन आलू का क्रय, यू0पी0एग्रो, पी0सी0एफ0, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, हाफेड तथा एन0सी0सी0एफ0 द्वारा किया जायेगा।

(2) योजनान्तर्गत यू0पी0एग्रो, पी0सी0एफ0 एवं हाफेड को रू. 02-02 करोड़ की व्यवस्था राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा चार माह के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में संस्थाओं की मांग पर उपलब्ध करायी जायेगी तथा उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 एवं एन0सी0सी0एफ0 द्वारा कार्यशील पूंजी की व्यवस्था स्वयं की जायेगी।

(3) सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा जिलाधिकारी के परामर्श से क्रय केन्द्र खोले जायेंगे। सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एवं क्रय संस्था स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार क्रय केन्द्रों की संख्या एवं उनके लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे।

(4) आलू का क्रय दिनांक 02 मार्च, 2018 से 31 मार्च 2018 की अवधि में किया जायेगा, जिसे आवश्यकतानुसार भारत सरकार की सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार फेयर एवरेज क्वालिटी (एफ.ए.क्यू.) का आलू क्रय किया जायेगा।

(6) इस योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये आलू के विक्रय उपरान्त यदि कोई हानि होती है तो योजना के लिये भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमन्य लागत (क्रय मूल्य एवं ओवरहेड व्यय) का 25 प्रतिशत की सीमा तक भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(7) क्रय करने वाली एजेन्सियों द्वारा क्रय किये गये आलू की मात्रा का निस्तारण अधिकतम अर्जित होने वाली दरों पर किया जायेगा ताकि राजकीय कोष में किसी प्रकार की क्षति नहीं होने पाये। इस योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये आलू के निस्तारण हेतु पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित संस्था द्वारा क्रय किये गये आलू की मात्रा का निस्तारण यथासम्भव लाभकारी मूल्य पर किया जाय।

(8) सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा जिलाधिकारी के परामर्श से क्रय केन्द्र खोले जायेंगे। संस्थाओं द्वारा आवंटित अपने जनपदों में दिनांक 01 मार्च, 2018 तक प्रत्येक जनपद में एक-एक क्रय केन्द्र तथा दिनांक 06 मार्च, 2018 तक प्रत्येक तहसील स्तर पर न्यूनतम एक क्रय केन्द्र स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे। सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एवं क्रय संस्था स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार क्रय केन्द्रों की संख्या एवं लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे।

(9) क्रय संस्थाओं द्वारा किसानों से सीधे आलू क्रय किया जायेगा ताकि बिचौलियों द्वारा योजना का दुरूपयोग नहीं किया जा सके। क्रय एजेन्सियों द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी कि केवल वास्तविक उत्पादक कृषकों, सहकारी संस्थाओं तथा कृषक संगठनों से ही आलू का क्रय किया जाय। क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय किये जाने वाले आलू से सम्बन्धित सभी अभिलेखों का विधिवत अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय किया गया आलू खुले बाजार में अधिकतम मूल्य पर विपणित किया जायेगा। क्रय संस्थाओं को आलू के प्रसंस्करण एवं निर्यात के लिए भी प्रभावी प्रयास करने होगें।

(11) क्रय संस्थाओं द्वारा आलू के क्रय के लिये अलग से बैंक खाता खोलना होगा तथा सम्बन्धित सम्प्रेक्षण लेखा राज्य सरकार के माध्यम से तीन माह के भीतर बाजार हस्तक्षेप योजना के क्रियान्वयन की पूर्णता के उपरान्त भारत सरकार को प्रस्तुत करना होगा।

(12) क्रय संस्थाओं द्वारा लाभार्थी कृषकों की सूची तथा क्रय केन्द्रवार विवरणी सम्प्रेक्षण लेखों के साथ प्रस्तुत करनी अनिवार्य है।

(13) क्रय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे क्रय के उपरान्त उसी बाजार एवं राज्य में क्रय किये गये आलू का विपणन न करें, किन्तु स्थानीय बाजार में भी क्रय किये गये आलू का अच्छा मूल्य प्राप्त होने पर बिक्री की जा सकेगी।

.....3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(14) क्रय संस्थाओं द्वारा दैनिक प्रगति रिपोर्ट उद्यान एवं खाद्य प्रसस्करण विभाग, उ0प्र0 को ई-मेल ddpotato2015@gmail.com पर उपलब्ध करानी होगी। उद्यान एवं खाद्य प्रसस्करण द्वारा संकलित प्रगति रिपोर्ट शासन एवं भारत सरकार को प्रस्तुत करनी होगी।

(15) क्रय संस्थाओं को आलू के क्रय, विक्रय, परिवहन, गनी बैग का क्रय, मजदूरी आदि पर होने वाले व्यय आदि का विधिवत नियमानुसार अभिलेखीकरण करना होगा। कृषकों से क्रय किये गये आलू के मूल्य का भुगतान लाभार्थी कृषकों के बैंक खाते में आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किया जायेगा।

(16) क्रय संस्थाओं द्वारा योजना के संचालन हेतु एक अलग डेडीकेटेड बैंक एकाउन्ट खोला जायेगा तथा योजना से सम्बन्धित समस्त लेन-देन इसी एकाउन्ट के माध्यम से सुनिचित किया जायेगा।

2. क्रय संस्थाओं द्वारा बाजार हस्तक्षेप योजना अन्तर्गत आलू क्रय केन्द्रों का संचालन संलग्न परिशिष्ट-1 में आवंटित मण्डलों में किया जायेगा।

3. यह सुनिश्चित किया जाय कि सम्बन्धित एजेन्सियों के क्रय केन्द्र तत्काल स्थापित हो तथा क्रय केन्द्रों पर एजेन्सी विशेष के नाम सहित बैनर भी लगा दिया जाये और कृषकों के मध्य समाचार पत्रों तथा अन्य माध्यमों से इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी कराया जाये। जिससे कृषकों को इसकी समुचित जानकारी हो सके और वे योजना का लाभ उठा सकें।

4. इस योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा सहकारी समितियों, कृषक संगठनों और सीधे किसानों से आलू क्रय किया जाना है। अत: यह सुनिश्चित किया जाय कि योजना का पूरा लाभ वास्तविक कृषक प्राप्त कर सकें और किसी भी प्रकार से बिचौलिये योजना का दुरूपयोग नहीं कर पाये।

5. जिलाधिकारी अपने जनपद में जनपदीय उद्यान अधिकारी तथा अन्य विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी प्रत्येक क्रय केन्द्रों पर लगायेगें जिससे आलू उत्पादक किसानों के सम्मुख होने वाली कठिनाईयों का निस्तारण तत्काल हो सके।

6. जिलाधिकारी अपने स्तर से जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम गठित कर इन क्रय केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

7. जिलाधिकारी प्रतिदिन स्थिति की समीक्षा करेगें तथा फैक्स द्वारा प्रगति की सूचना शासन के सूचनार्थ निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उ0प्र0 को उपलब्ध करायेगें। सम्बन्धित क्रय एजेन्सीज भी क्रय की मात्रा की केन्द्रवार दैनिक प्रगति शासन के सूचनार्थ निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उ0प्र0 को नियमित रूप से उपलब्ध करायेगें।

8. कृपया उपरोक्तानुसार बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत आलू क्रय केन्द्र खोलने हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राज प्रताप सिंह**)**
कृषि उत्पादन आयुक्त।

.....4/-

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-**7/2018-**जी**0**आई**0-11(1)/58-2018** तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन,।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रबन्ध निदेशक, प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन(पी.सी.एफ.), लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदशक, यू0पी0 एग्रो, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य औद्यानिक विपणन संघ(हाफेड), लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 बालाकदर रोड, लखनऊ।
10. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी समितियॉ उ0प्र0, लखनऊ।
11. समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्तों को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस योजना का प्रभावी अनुश्रवण कराने का कष्ट करें।
12. समस्त सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक उद्यान/सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी/ अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस योजना के क्रियान्वयन में क्रय एजेन्सियों को पूर्ण सहयोग करेगें, आवश्यकतानुसार अच्छी ख्याति के निजी शीतगृहों में क्रय किये गये आलू को भण्डारित कराने में सहयोग करेगें तथा योजना की दैनिक प्रगति से निदेशालय को अवगत करायेंगे।
13. निदेशक, मण्डी परिषद उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त योजना में यथोचित सहयोग हेतु अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/मण्डी सचिवों को निर्देशित कर दें।
14. निदेशक,(एम.पी.एस.) कृषि सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग(सहकारिता अनुभाग) कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र सं0- एल-15016/6/2018-एम.पी.एस., दिनांक 01.03.2018 के संदर्भ में।
15. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सुधीर गर्ग**)**
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>परिशिष्ट-1</u>

भारत सरकार द्वारा स्वीकृति बाजार हस्तक्षेप योजना अन्तर्गत आलू क्रय केन्द्रों के संचालन हेतु क्रय संस्थाओं को लक्ष्य आवंटन

क्र. सं.	संस्था का नाम	क्रय लक्ष्य (मी0टन)	आवंटित मण्डल	जनपद का नाम
1.	पी.सी.एफ.	60,000	आगरा, कानपुर एवं इलाहाबाद	आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, औरैया, कन्नौज, फर्रूखाबाद, इटावा, इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं फतेहपुर।
2.	यू.पी. एग्रो	40,000	बरेली, मुरादाबाद, मेरठ एवं सहारनपुर	मण्डलों के समस्त जनपद।
3.	हॉफेड	40,000	गोरखपुर, आजमगढ बस्ती, देवीपाटन मिर्जापुर, झांसी एवं चित्रकूट।	गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, सन्तकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, गोण्डा, बलरामपुर, बहराईच, श्रावस्ती। मिर्जापुर, झांसी एवं चित्रकूट मण्डलों में आवश्यकतानुसार।
4.	उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0	30,000	अलीगढ़ एवं लखनऊ	मण्डलों के समस्त जनपद।
5.	एन.सी.सी.एफ.	30,000	वाराणसी एवं फैजाबाद मण्डल	मण्डलों के समस्त जनपद।
	कुल योग-	**2,00,000**		

http://shasanadesh.up.nic.in